न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे. समक्ष
नीलम और अन्य -याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी
सीआरएल। विविध. क्रमांक **3189/2006,**
2 सितंबर, **2008.**

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**—धारा **156(3)** एवं **202-** भारतीय दंड संहिता, **1860** धारा **306,34**—याचिकाकर्ता संख्या **1** के पति की मृत्यु—याचिकाकर्ता संख्या **1** के ससुर द्वारा एसडीजेएम की अदालत में शिकायत दर्ज कराना—एसडीजेएम ने सीआरपीसी की धारा **202** के तहत मामले की जांच का आदेश दिया। सआरपीसी.- क्या शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट, शिकायत किए गए अपराध का संज्ञान लेते हुए, सीआरपीसी की धारा **156(3)** के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है- आयोजित, नहीं- क्या ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिस अपराध की शिकायत की गई है वह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा **156(3)** के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता था। - माना गया, नहीं - मजिस्ट्रेट का पुलिस को आरोपियों के खिलाफ धारा के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश देने का आदेश **306/34** आईपीसी को कानून और सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण अवैध माना गया - याचिका स्वीकार की गई, एसडीजेएम का आदेश, एफआईआर और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही रद्द कर दी गई।

निर्धारित किया गया है।कि जब कोई शिकायत किसी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है या उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो उसे शुरुआत में ही शिकायत को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजना चाहिए और उसे निर्देश देना चाहिए कि वह इसे धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में माने और अध्याय XII के तहत आगे बढ़े। धारा 156 के तहत जांच करना और उक्त अध्याय की धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना या धारा 202 के तहत इसका संज्ञान लेना, धारा की पूर्व-खाली आवश्यकता का पालन करना और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के तहत आगे बढ़ना। एक मजिस्ट्रेट जब अध्याय XV के तहत आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो उसके पास पुलिस को अध्याय XII के तहत जांच करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करेगा। (पैरा 21)

इसके अलावा, यह माना गया कि एक बार जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कथित अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (2) के अनुसार आगे बढ़ना होगा और पुलिस द्वारा जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। धारा 156(3) के तहत. (पैरा 25)

इसके अलावा, यह माना गया कि 5 अप्रैल, 2006 के आदेश का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों ने शिकायत, डीएसपी सफीदों की रिपोर्ट और लिखावट की रिपोर्ट/राय का अध्ययन किया। फिंगर प्रिंट और दस्तावेज़ विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायत में लगाए गए आरोप धारा 306/506/120-बी/34 आईपीसी के तहत थे, जिनमें से धारा 306 आईपीसी विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसा कहने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(2) के

तहत आगे बढ़ने के अलावा, मजिस्ट्रेट इस मामले में किसी अन्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता था, जिसमें

शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और उनकी जांच करने के लिए बुलाने का प्रावधान है। शपथ। इसके बाद, मामला 29 अप्रैल, 2006 को उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जब मजिस्ट्रेट ने धारा 202 (2) के तहत कार्यवाही करने के बजाय एक कदम आगे बढ़कर SHO, पुलिस स्टेशन को निर्देश जारी किए। सफीदों ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306/34 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मामला दर्ज किया है। यह आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और कानून तथा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण इसे अवैध माना जाता है। (पैरा 28 से 30)

के.एस. धालीवाल, याचिकाकर्ताओं के वकील
के.डी. सचदेवा, डीएजी, पंजाब, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए
अरिहंत जैन, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह**,** न्यायमूर्ति.

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों द्वारा पारित आदेश, दिनांक 31 जनवरी, 2006 और आदेश, दिनांक 29 अप्रैल, 2006 को रद्द करने और उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29 अप्रैल, 2006 के अनुपालन में, एफआईआर संख्या 203, दिनांक 4 मई, 2006 को पुलिस स्टेशन सफीदों, जिला जींद

में धारा 306, 34 आईपीसी के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 की शादी 10 नवंबर, 2002 को सुनील कुमार पुत्र किताब सिंह के साथ हुई थी। उनके विवाह से दो बच्चे पैदा हुए थे। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अपने पति की सहमति से 26 नवंबर, 2005 को अपने बच्चों के साथ अपने पति सुनील कुमार का वैवाहिक घर छोड़ दिया। 29 नवंबर, 2005 की रात को याचिकाकर्ता नंबर 1 को उसके ससुराल वालों ने सूचित किया कि उसका पति अब नहीं रहा। सफीदों पहुंचने पर, किताब सिंह- प्रतिवादी नंबर 2, जो उसके पति के पिता हैं, ने याचिकाकर्ता नंबर 1 को सूचित किया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के पति सुनील कुमार ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके पति को किताब सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों ने मार डाला है. उसने 14 दिसंबर, 2005 को एस.पी., जींद को एक शिकायत दर्ज की, लेकिन इससे पहले उसे 11 दिसंबर, 2005 को उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 के आवेदन को जांच के लिए एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, सफीदों को भेज दिया गया था। . 8 जनवरी, 2006 को श्री मनबीर सिंह, एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, सफीदों ने दोनों पक्षों को बुलाया और किताब सिंह-प्रतिवादी नंबर 2 का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज होने के बाद, उस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई।

3. इस बीच, अपनी जान बचाने के लिए, किताब सिंह-प्रतिवादी नंबर 2 ने दिनांक 30 जनवरी, 2006 को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीदों की अदालत में एक झूठा सुसाइड नोट बनाकर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस शिकायत का संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता किताब सिंह के बयान दर्ज करने के बाद शिकायत को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के लिए डी.एस.पी., सफीदों को आदेश, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के तहत भेजा। डी.एस.पी.सफीदों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अदालत ने 29 अप्रैल, 2006 के आदेश के तहत मामला दर्ज करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, सफीदों को भेज दिया, जिसके अनुपालन में एफआईआर नं. 203 दिनांक 4 मई 2006 को धारा 306, 34 आईपीसी के तहत थाना सफीदों में दर्ज किया गया था।

4. सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों द्वारा 31 जनवरी, 2006 और 29 अप्रैल, 2006 को एफआईआर के साथ पारित ये दो आदेश हैं, जिन्हें चुनौती दी गई है।

5. याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि एक बार उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों ने शिकायत में कथित अपराधों का संज्ञान लिया है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत मामले की जांच करने का आदेश दिया है, पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए

शिकायत मजिस्ट्रेट भेजने में सक्षम नहीं है। धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व-संज्ञान चरण में किया जा सकता है। एक बार संज्ञान लेने के बाद, मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज करने के लिए शिकायत भेजने का अधिकार नहीं है। आगे कहा गया है कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के लिए शिकायत भेजने में सक्षम नहीं है, यदि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। वर्तमान शिकायत में अपराध धारा 306/34 आईपीसी के तहत है, जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट मामले में जांच का आदेश देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था और किसी भी हालत में वह धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकता था।

6. नोटिस जारी होने पर, राज्य के साथ-साथ किताब सिंह-प्रतिवादी नंबर 2 (शिकायतकर्ता) की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। राज्य के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 का उत्तर समान आधार पर है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों ने 29 अप्रैल, 2006 को आदेश पारित करने से पहले किसी भी स्तर पर संज्ञान नहीं लिया था। शिकायत में कथित अपराध. यह केवल 29 अप्रैल, 2006 के आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया गया था और इसलिए, मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के लिए सक्षम था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी करने के लिए उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर की गई थी और मजिस्ट्रेट ने दिनांक 29 अप्रैल, 2006 के आदेश द्वारा शिकायत की गई प्रार्थना को स्वीकार करने में कार्रवाई की है।

7. दलीलों के आधार पर, विचार और निर्णय के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं:

   प्रश्न - 1 क्या शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट अपराध की शिकायत का संज्ञान लेते हुए, धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता?

   प्रश्न - 2 क्या ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता था?

8. इन मुद्दों को हल करने के लिए, मामले की कार्यवाही के दौरान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों द्वारा पारित तीन आदेश महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उक्त आदेशों, पृष्ठभूमि तथ्यों और न्यायालय में कार्यवाही पर आगे बढ़ने से पहले उस विवाद को समझना आवश्यक है जिसके कारण इस मामले में निर्णय की आवश्यकता हुई।

9. शिकायत दिनांक 30 जनवरी, 2006 को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों की अदालत में दायर की गई थी और इसे आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस थाना सफीदों एस.एच.ओ. को भेजने की प्रार्थना की गई थी। 31 जनवरी, 2006 को, शिकायतकर्ता ने उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों के समक्ष एक बयान दिया और मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा कि उसकी शिकायत की जांच के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत पुलिस उपाधीक्षक, सफीदों को भेजी जाए। मामला उक्त बयान के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत मूल शिकायत पुलिस उपाधीक्षक, सफीदों को भेज दी और 14 फरवरी, 2006 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पुलिस उपाधीक्षक, सफीदों की रिपोर्ट 14 फरवरी, 2006 को प्राप्त हुई और मामले को 25 फरवरी, 2006 और उसके बाद 4 मार्च, 2006, 11 मार्च, 2006, 29 मार्च, 2006 और 5 अप्रैल, 2006 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

10. 5 अप्रैल, 2006 को शिकायतकर्ता ने हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट्स और दस्तावेज़ विशेषज्ञ की राय की एक प्रति प्रस्तुत की और यह भी बयान दिया कि सुसाइड नोट का एफ.एस.एल. मधुबन से मिलान कराया जाए। सफीदों के उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एस.एच.ओ. को निर्देश दिए। थाना सफीदों पुलिस दस्तावेजों का एफ.एस.एल. मधूबन से मिलान कराएगी। 20 दिन के भीतर एफ.एस.एल. के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यहां यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धारा 306/506/120-बी/34 आईपीसी के तहत हैं और धारा 306 आईपीसी विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

11. इसके बाद, मामला 29 अप्रैल, 2006 को सुनवाई के लिए आया, जब उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों ने एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन सफीदों को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306/34 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

12. 31 जनवरी, 2006, 5 अप्रैल, 2006 और 29 अप्रैल, 2006 के तीन आदेश, जिन पर इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता है, यहां नीचे दिए गए हैं: -

आदेश-1

"उपस्थित रहें: शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता श्री जे.एस. मलिक के साथ

आज शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का बयान अलग से दर्ज किया गया है जिसमें उसने कहा है कि कृपया वर्तमान शिकायत धारा 202 सीआरपीसी के तहत भेजी जाए। शिकायतकर्ता के बयान के मद्देनजर वर्तमान शिकायत डी.एस.पी. को भेजी जाए। सफीदों में धारा 202 सी.आर.पी.सी. मामले की जांच के लिए 14 फरवरी,

2006 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मूल शिकायत भेजी जाए और उसकी फोटो कॉपी अदालत में रखी जाए।

(एसडी.) . . .,
गोपाल कृष्ण,
एसडीजेएम,
सफीदों,
31-1-06"

आदेश-2

"उपस्थित : शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से।
लिखावट, अंगुलियों के निशान और दस्तावेज़ विशेषज्ञ श्री यशपाल चंद जैन, मार्क-ए की राय की प्रति प्रस्तुत की गई और यह भी बयान दिया गया कि सुसाइड नोट का एफ.एस.एल. से मिलान कराया जाएगा। मधुबन और एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन सफीदों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए प्रार्थना की।
सुना। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान और रिपोर्ट मार्क-ए के मद्देनजर और डीएसपी, सफीदों के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में, चूंकि शिकायत में लगाए गए आरोप धारा 306/506/120-बी/34 आईपीसी और धारा के तहत हैं। 306 आईपीसी विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। न्याय हित में, एस.एच.ओ., पी.एस. सफीदों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिकायतकर्ता से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और 20 दिनों के भीतर एफएसएल, मधुबन से मिलान करें और 29 अप्रैल, 2006 को या उससे पहले एफएसएल रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सूचना एस.एच.ओ., पी.एस. सफीदों को भेजी जाए।

(एसडी.) . . .,
एसडीजेएम,
सफीदों,
5-4-2006"

आदेश-3

"उपस्थित:-श्री जे.एस. मलिक, अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता।
एएसआई वेद प्रकाश व्यक्तिगत रूप से।
श्री वेद प्रकाश, एएसआई, उपस्थित हुए और एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्रस्तुत की। हरियाणा, मधुबन, सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में खोली गई। एफ.एस.एल. से प्राप्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। मधुबन तथा डी.एस.पी. द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में। सफीदों, प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306/34 के तहत मामला बनता है। एस.एच.ओ., पी.एस. सफीदों को तदनुसार मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

(एसडी.) . . .,
गोपाल कृष्ण,
एसडीजेएम,
सफीदों,
29-4-2006"

13. उपरोक्त तीन आदेशों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि एक बार उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों ने अपने आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2006 में धारा 202 के तहत प्रतिवादी नंबर 2 की शिकायत पर आगे बढ़ने का फैसला किया था। जैसा कि 31 जनवरी, 2006 के आदेश से स्पष्ट है, वह वापस नहीं आ सकता था और एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन सफीदों को निर्देश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) का सहारा नहीं ले सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 5 अप्रैल, 2006 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों, पूरी तरह से जानते थे कि शिकायत के अनुसार कथित अपराध, विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय था। इसलिए, मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का विकल्प नहीं था, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास एकमात्र विकल्प धारा 202(2) के तहत आगे बढ़ना था, जिसमें वह शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और जांच करने के लिए कहने के लिए बाध्य था। उन्हें शपथ पर उक्त प्रक्रिया दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के आदेश और उसके बाद के आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2006 का पालन नहीं किए जाने पर कायम नहीं रह सकती और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इन प्रस्तुतियों के लिए, वह देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम नारायण रेड्डी और अन्य (1), और तुला राम और अन्य बनाम किशोर सिंह (2) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं।

14. राज्य के वकील और शिकायतकर्ता के वकील का तर्क है कि चूंकि उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों ने शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के वकील के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा 29 अप्रैल, 2006 को आदेश पारित करते समय ही संज्ञान लिया गया था और इसलिए, न्यायालय उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, साथ ही प्रश्न में एफआईआर दर्ज की गई जो कानून के अनुरूप है।

15. मैंने पक्षों के वकील को सुना है और मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ बार में उद्धृत निर्णयों को भी देखा है। चूंकि इस मामले से जुड़े प्रश्न पूरी तरह से कानूनी प्रकृति के हैं, इसलिए शिकायत में लगाए गए आरोपों और दूसरे पक्ष के जवाबी आरोपों पर टिप्पणी नहीं की जा रही है।

16. अब मैं ऊपर बताए अनुसार वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले दो प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आगे बढ़ता हूं।

17. देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम नारायण रेड्डी और अन्य (सुप्रा) (पृष्ठ 1677 पर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यवस्था दी:

> "17. धारा 156(3) अध्याय XII में आती है, शीर्षक के तहत: "पुलिस को सूचना और जांच करने की उनकी शक्तियां", जबकि धारा 202 अध्याय XV में है जिसका शीर्षक "मजिस्ट्रेट को शिकायत" है। धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने की शक्ति धारा द्वारा प्रदत्त जांच को निर्देशित करने की शक्ति से भिन्न है। दोनों अलग-अलग चरणों में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। पहला, पूर्व-संज्ञान चरण में प्रयोग किया जा सकता है, दूसरा, संज्ञान के बाद के चरण में, जब मजिस्ट्रेट मामले की जांच कर रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में शिकायत के मामले में, धारा के तहत शक्ति। धारा 190(1)(ए) के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर वह एक बार इस तरह का संज्ञान लेता है और अध्याय XV में सन्निहित प्रक्रिया को अपनाता है, तो वह पूर्व-संज्ञान चरण में वापस जाने और धारा 156 (3) का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। आगे यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 156 की उप-धारा (3) के तहत किया गया एक आदेश, धारा 156 (1) के तहत जांच की अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पुलिस को एक अनुवर्ती अनुस्मारक या सूचना की प्रकृति में है। इस तरह की जांच में पूरी सतत प्रक्रिया शामिल होती है जो धारा 156 के तहत साक्ष्य एकत्र करने से शुरू

होती है और धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट या आरोप-पत्र के साथ समाप्त होती है। दूसरी ओर, धारा 202 उस चरण में आती है जब कुछ सबूत एकत्र किए जाते हैं। अध्याय XV के तहत कार्यवाही में मजिस्ट्रेट, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया में अगले चरण के बारे में निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट को धारा 202 के तहत उस धारा द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर, "यह तय करने के उद्देश्य से कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं" जांच का निर्देश देने का अधिकार है। इस प्रकार धारा 202 के तहत जांच का उद्देश्य पुलिस रिपोर्ट पर एक नया मामला शुरू करना नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट को उसके समक्ष शिकायत पर पहले से ही शुरू की गई कार्यवाही को पूरा करने में सहायता करना है।

18.इसी प्रकार, तुला राम और अन्य बनाम किशोर सिंह (3) के मामले में, (पृष्ठ 464 पर), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"10. प्रश्नगत विषय पर संहिता की योजना का विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 156(3) जो इस प्रकार चलती है: धारा 190 के तहत अधिकार प्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट ऊपर बताए अनुसार ऐसी जांच का आदेश दे सकता है। अध्याय 12 में दिखाई देता है जो पुलिस को जानकारी और किसी अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की शक्तियों से संबंधित है। इसलिए इस धारा को अध्याय 14 से अलग अध्याय में रखा गया है जो एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 190 और 156 (3) परस्पर अनन्य हैं और पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। दूसरे शब्दों में, स्थिति यह है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को धारा 190 के तहत शिकायत मिलती है तो भी वह धारा 156(3) के तहत कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते कि वह संज्ञान न ले। इसलिए, स्थिति यह है कि जहां अध्याय 14 संज्ञान के बाद के चरण से संबंधित है, वहीं अध्याय 12 जहां तक मजिस्ट्रेट का संबंध है, पूर्व-संज्ञान चरण से संबंधित है, यानी एक बार जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 190 और उसके बाद के प्रावधानों के तहत कार्य करना शुरू कर देता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। धारा 156(3) का सहारा लें. श्री मुखर्जी ने हमारे सामने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि इस आवश्यक अंतर को ध्यान में रखते हुए एक बार जब मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत कार्रवाई करना चुनता है तो शिकायत को पुनर्जीवित करना, संज्ञान लेना और आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करना उसके लिए खुला नहीं है। वकील ने तर्क दिया कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट के पास केवल दो विकल्प हैं - या तो वह पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर दोबारा जांच का निर्देश दे सकता है या वह सीधे आरोपी को धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी कर सकता है। . मौजूदा मामले में मजिस्ट्रेट ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि संहिता की धारा 190 (एल) (ए) और

धारा 200 के तहत आगे बढ़ना चुना है और उसके बाद धारा 204 के तहत आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी की है। आकर्षक हालांकि यह तर्क प्रतीत होता है कि हम हैं हालाँकि इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, यह तर्क इस भ्रांति पर आधारित है कि जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देता है तो शिकायत गायब हो जाती है और अस्तित्व से बाहर हो जाती है।वर्तमान संहिता की धारा 202 के प्रावधान एक मजिस्ट्रेट को उस शिकायत पर जांच का निर्देश देने से रोकते हैं जहां आरोप लगाया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। शिकायतकर्ता के आरोपों पर जिस अपराध की शिकायत की गई थी वह स्पष्ट रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय था और इसलिए यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 202 के तहत पुलिस द्वारा उसके सामने दायर शिकायत की जांच करने का निर्देश देने से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया था। लेकिन पुलिस को जांच का आदेश देने के लिए संहिता की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों को धारा 202 द्वारा छुआ या प्रभावित नहीं किया गया है क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग संज्ञान लेने से पहले भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 202 केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और शिकायत की जांच स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करने का विकल्प चुना है। लेकिन वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जहां मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने से पहले स्वयं संहिता की धारा 156(3) के तहत शुद्ध और सरल जांच का आदेश देने का विकल्प चुनता है। सवाल यह है कि ऐसा करने पर, क्या पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसे संहिता की धारा 190, 200 और 204 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है? हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह का रास्ता अपनाने पर कोई रोक नहीं है। मौजूदा मामले में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया था। भले ही शिकायत मजिस्ट्रेट द्वारा (पहले) दायर की गई थी, उन्होंने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि उन्होंने शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए मामले के तथ्यों पर अपना न्यायिक दिमाग लगाया था। उन्होंने जो किया वह यह था कि शिकायत को एक तरफ रख दिया और शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने का निर्णय लेने से पहले ही जांच का आदेश दे दिया। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने शिकायत के आधार पर मामले का संज्ञान लेने का फैसला किया और तदनुसार शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। इस प्रकार, 2 अप्रैल, 1975 को मजिस्ट्रेट ने पहली बार शिकायत पर संज्ञान लेने का निर्णय लिया और शिकायतकर्ता को उपस्थित होने का निर्देश दिया। एक बार जब मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान ले लिया गया तो उसके लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुनना खुला था: (1) प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर दें और मामले की स्वयं जांच करें; या (2) पुलिस

अधिकारी को जांच करने का निर्देश देना; या (3) कोई अन्य व्यक्ति। मौजूदा मामले में चूंकि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है, इसलिए मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से किसी भी जांच का आदेश देने से रोक दिया गया था, लेकिन उसे शिकायत की सच्चाई के बारे में खुद कोई भी जांच करने से नहीं रोका गया था। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने ठीक यही किया है। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता को अपने सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया, शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान दर्ज किए और उसका अवलोकन करने के बाद उन्होंने आरोपी अपीलकर्ताओं को प्रक्रिया जारी करके संहिता की धारा 204 के तहत कार्रवाई की क्योंकि वह संतुष्ट थे कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार थे।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से मजिस्ट्रेट की शक्तियों के संबंध में कानून स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII और अध्याय XV के तहत प्रयोग किए जाने पर भिन्न और विशिष्ट हैं। उपरोक्त के आलोक में, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:— प्रश्न-1 "क्या शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट, शिकायत किए गए अपराध का संज्ञान लेते हुए, धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता?
20. जब भी किसी मजिस्ट्रेट को कोई शिकायत प्राप्त होती है, जिस पर वह संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है और यदि वह यह तय करना उचित समझता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, तो वह मामले की स्वयं जांच कर सकता है या जांच करने का निर्देश दे सकता है। किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो वह उचित समझे। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अनिवार्य है। हालाँकि, यदि शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट, शिकायतकर्ता की जांच किए बिना, पुलिस को जांच करने का निर्देश देता है, तो यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत है, जिसका अर्थ है कि इसमें दिमाग का कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। और धारा 156(1) के तहत जांच की अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पुलिस को एक पूर्व अनुस्मारक या सूचना की प्रकृति में है और अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हालाँकि, यदि जाँच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत निर्देशित की जाती है, तो कथित अपराध का संज्ञान लेने पर भी ऐसा किया जा सकता है। धारा 156(3) के तहत जांच के परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) (बी) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा विचार के लिए विषय वस्तु बनती है। . हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के बाद एक

रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसे अपराध का संज्ञान लेने के बाद ही मांगा जा सकता है, मजिस्ट्रेट द्वारा विचार के लिए सामग्री प्रस्तुत करता है या धारा 204 के तहत आदेश पारित करके आरोपी को बुलाने के लिए। या धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करने के आदेश द्वारा प्रक्रिया जारी करने से इनकार कर दिया। धारा 156(3) में विधायिका द्वारा मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द पढ़ते हैं "... ऐसी जांच का आदेश दे सकते हैं... ।" जबकि धारा 202 में ".....या जांच का निर्देश देना...", मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की प्रकृति में अंतर को सामने लाता है जो विशिष्ट हैं और इन्हें लागू करने में गुणात्मक अंतर की आवश्यकता होती है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय मन। यह हमेशा वांछनीय है कि शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) के तहत एक आदेश और धारा 202 के तहत एक निर्देश के बीच अंतर को ध्यान में रखना चाहिए और दोनों धाराओं के तहत एक मिश्रित समग्र आदेश नहीं देना चाहिए।

प्रश्न 1 का उत्तर:

21. जब कोई शिकायत किसी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है या उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो उसे शुरुआत में ही शिकायत को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजना चाहिए और उसे निर्देश देना चाहिए कि इसे धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में माना जाए। और अध्याय XII के तहत धारा 156 के तहत जांच करने के लिए आगे बढ़ें और उक्त अध्याय की धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें या धारा 202 के तहत इसका संज्ञान लें और धारा की प्रारंभिक आवश्यकता का पालन करें और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के तहत आगे बढ़ें। एक मजिस्ट्रेट जब अध्याय XV के तहत आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो उसके पास पुलिस को अध्याय XII के तहत जांच करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करेगा। प्रश्न-II क्या ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता था?

22. इस संबंध में, धारा 202(2) के प्रावधान अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं और इस प्रकार नीचे दिए गए हैं: "202(2) उप-धारा (1) के तहत एक जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, साक्ष्य ले सकता है शपथ पर गवाह का: बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिस अपराध की शिकायत की गई है वह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कहेगा।

23. उपरोक्त का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि मजिस्ट्रेट के पास शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिस अपराध की शिकायत की गई है वह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तुला राम और अन्य बनाम किशोर सिंह {सुप्रा) के मामले में भी निपटाया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को किसी भी जांच का आदेश देने से स्पष्ट रूप से रोक दिया गया था, लेकिन शिकायत की सच्चाई के बारे में खुद कोई भी जांच करने से उसे नहीं रोका गया था।

24. हालाँकि, पूछताछ के दौरान या किसी भी चरण में जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की दिशा की अनुमति नहीं है और उसे स्वयं जांच करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर, प्रावधान लागू होता है जिसमें कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कहेगा। स्पष्ट कारण यह है कि एक निजी शिकायत में, जिसे सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में जमा करना आवश्यक है, आरोपी के हितों की रक्षा की जाएगी क्योंकि सुनवाई के समय आरोपी को आश्चर्य नहीं होगा और इससे पता चल जाएगा शिकायतकर्ता और गवाहों का संस्करण जिनकी सूची प्रक्रिया जारी होने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा धारा 204(2) के तहत दायर की जानी आवश्यक है। यह आवश्यक होगा क्योंकि धारा 208(1) के तहत मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए गए सभी व्यक्तियों के धारा 200 या धारा 202 के तहत दर्ज किए गए बयानों की प्रति बिना किसी देरी के आरोपी को मुफ्त में देने का आदेश दिया गया है।

प्रश्न-2 का उत्तर:

25. एक बार जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कथित अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(2)

के अनुसार आगे बढ़ना होगा और धारा 156(3) के तहत पुलिस द्वारा जांच हेतु आदेश नहीं दे सकता है।

26.अब कानून की कसौटी पर उनकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों द्वारा पारित प्रश्नगत आदेशों पर वापस लौटने का समय आ गया है।

27.पहला आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2006 का है। यह शिकायत की प्रस्तुति के साथ शुरू होता है और उसके बाद, यह कहने के लिए आगे बढ़ता है कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है और शिकायतकर्ता के बयान पर, मूल शिकायत भेज दी गई है। मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत सफीदों के डी.एस.पी. यह मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत और शिकायतकर्ता के बयान पर दिमाग लगाने को दर्शाता है और उसके बाद, जांच को धारा 202 के तहत निर्देशित किया गया था। इस अध्याय में निहित प्रावधान अध्याय XV के तहत अपराध का संज्ञान लेने के बाद, मजिस्ट्रेट इसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए बाध्य था।

28.5 अप्रैल, 2006 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों ने शिकायत, डी.एस.पी., सफीदों की रिपोर्ट और लिखावट, उंगलियों के निशान और दस्तावेज़ की रिपोर्ट/राय का अध्ययन किया। विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायत में लगाए गए आरोप धारा 306/506/120-बी/3 4 आईपीसी के तहत थे, जिनमें से धारा 306 आईपीसी विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसा कहने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(2) के तहत आगे बढ़ने के अलावा, मजिस्ट्रेट इस मामले में किसी अन्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता था, जिसमें शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और उनकी जांच करने के लिए बुलाने का प्रावधान है।

29.इसके बाद, मामला 29 अप्रैल, 2006 को उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जब मजिस्ट्रेट ने धारा 202 (2) के तहत आगे बढ़ने के बजाय एक कदम आगे बढ़कर SHO, पुलिस स्टेशन को निर्देश जारी किया। सफीदों ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306/34 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मामला दर्ज किया है। आदेश ऊपर दिए गए प्रश्न I और II के उत्तरों से प्रभावित होता है, जहां यह माना गया है कि: "एक मजिस्ट्रेट जब अध्याय XV के तहत आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो उसके पास पुलिस को

अध्याय XII के तहत जांच करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यदि वह ऐसा करता है , वह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करेगा। एक बार जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कथित अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (2) के अनुसार आगे बढ़ना होगा और धारा 156 के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।"

30. यह आदेश ऊपर बताए अनुसार कानून की कसौटी पर विफल रहता है और कानून तथा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण इसे अवैध माना जाता है।

31. तदनुसार, यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफीदों द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2006, धारा 306/34 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 203 दिनांक 4 मई, 2006, पुलिस थाना सफीदों, जिला जीन्द में दर्ज की गई और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। सफीदों के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(2) के अनुसार शिकायत पर आगे बढ़ने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया जाता है।

अवीकरण :
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमितउपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।